UPAG010061372026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2615/2026

1. गोविन्दा उर्फ मानवेन्द्र पुत्र कृष्णकान्त निवासी– बमरौली अहीर थाना मलपुरा, आगरा उम्र करीब 32 वर्ष

2. डा0 रनवीर सिंह पुत्र हरिभगवान सिंह निवासी– जरूरी पोखर के पास रावत चौक धनौली थाना मलपुरा, आगरा उम्र करीब 28 वर्ष

. ..... अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 239/2026
धारा –109(1),190,191(2),191(3),भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम
थाना: मलपुरा जिला आगरा।

एवं

UPAG010063982026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2636/2026

हेमवीर उर्फ हेमन्त पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी– 27–28, जोन्स मिल लाइन, जीवनी मण्डी, थाना छत्ता, आगरा उम्र करीब 32 वर्ष

. ..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 239/2026
धारा –109(1),190,191(2),191(3),भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम
थाना: मलपुरा जिला आगरा।

एवं

UPAG010064162026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2734/2026

दीपक उर्फ दीपू उर्फ दीपू मद्रासी पुत्र शशी निवासी– राम बिहार कॉलोनी, धनौली थाना मलपुरा, आगरा उम्र करीब 28 वर्ष

. ..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 239/2026
धारा –109(1),190,191(2),191(3),भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम
थानाः मलपुरा जिला आगरा।

दिनांक 15.06.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण गोविन्दा उर्फ मानवेन्द्र तथा डा0 रनवीर सिंह की ओर से मु0अ0सं0 239/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),190,191(2),191(3),भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्तगण हेमवीर उर्फ हेंमन्त एवं दीपक उर्फ दीपू उर्फ दीपू मद्रासी की ओर से मु0अ0सं0 239/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),190,191(2),191(3) भारतीय न्याय संहिता थाना मलपुरा आगरा के प्रकरण में, जमानत हेतु अलग–अलग प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण, इनका निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्तगण गोविन्दा एवं डा0 रनवीर सिंह के भाई दाऊ भैया, अभियुक्त हेमन्त उर्फ हेमवीर के पिता सत्यवीर सिंह तथा अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू के रिश्ते के भाई दाऊ भैया द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें वर्णित है कि ये अभियुक्तगण के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हैं, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि

उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित नहीं हैं। प्रकरण में कोई भी व्यक्ति चुटैल नहीं है। वास्तविकता यह है कि गौरव पुण्ढीर नामक व्यक्ति से अभियुक्त दीपक का विवाद चल रहा है, जिसे लेकर गौरव पुण्ढीर एवं पूर्व प्रधान ब्लॉक प्रमुख राजू के साथ एक साजिश के तहत यह झूठा अभियोग दर्ज कराया गया है। अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से कोई फायरिंग नहीं की गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। घटनास्थल व्यस्ततम स्थल है, जहां पर सैकड़ों दुकानें हैं। अभियुक्तगण गोविन्दा उर्फ मानवेन्द्र तथा डा0 रनवीर सिंह दिनांक 29.05.2026 से, अभियुक्त हेमवीर उर्फ हेमन्त दिनांक 30.05.2026 से तथा अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू उर्फ दीपू मद्रासी दिनांक 04.06.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी राममूर्ती द्वारा थाना मलपुरपा, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि शाम करीब सात बजे जब वह मुल्ला की प्याऊ पर आया तो प्रवीन व तेजू उर्फ तेजवीर तथा यतेन्द्र में कहासुनी हो रही थी। परिचित होने के कारण उसके द्वारा उनका बीच बचाव कराया गया, इसके पश्चात् वह वहां से चला गया। इसके बाद समय करीब शाम 07.30 बजे जब वह मुल्ला की प्याऊ चौराहे पर खड़ा था, वह कुछ समझ पाता, तभी उससे पहली बाइक सवार पर दो युवक जो स्पलैण्डर गाड़ी से आये, पीछे बैठे युवक ने उस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया तथा उनके साथ अपाचे बाइक एवं कार से आये अन्य लोगों ने भी हवाई फायर किये। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। वह उक्त में से दो युवकों तेजू उर्फ तेजवीर तथा मंजीत को पहचानता है। इस घटना का कई लोगों ने देखा।

वादी की तहरीर पर थाना मलपुरा आगरा पर मु0अ0सं0 239/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),190,191(2),191(3),भारतीय न्याय संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किये गये तथा अभियुक्तगण गोविन्दा उर्फ मानवेन्द्र एवं डा0 रनवीर सिंह के कब्जे से तमंचे एवं अभियुक्त हेमवीर उर्फ हेमन्त के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त कार बरामद की गयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का

है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक, आगरा के तर्क सुने तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से फायर किया जाना, आक्षेपित है।

उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित नहीं हैं, विवेचना के दौरान वादी एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आना कहा गया है।

प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों एवं वादी के बयान के अनुसार निर्विवादित रूप से वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की अथवा अन्य कोई चोटें नहीं आई है, न ही कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या ही उपलबध है।

यह भी निर्विवादित तथ्य है कि अभियुक्तगण को घटनास्थल पर नहीं पकड़ा गया है, अपितु कथित घटना दिनांकित 24.05.2026 के उपरान्त दिनांक 28.05.2026 को अभियुक्तगण गोविन्दा एवं रनवीर सिंह, दिनांक 29.05.2026 को अभियुक्त हेमवीर उर्फ हेमन्त तथा दिनांक 03.06.2026 को अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना कहा गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण की अन्य कोई आपराधिक पृष्ठभूमि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है, जब कि वादी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पर उनको समय प्रदान किया गया, परन्तु वादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

तदैव मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **गोविन्दा उर्फ मानवेन्द्र, डा0 रनवीर सिंह, हेमवीर उर्फ हेमन्त तथा दीपक उर्फ दीपू उर्फ दीपू मद्रासी** के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं।

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा **मु0 50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की **दो** प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किये जायें कि :–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होंगे।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण वादी मुकदमा अथवा अन्य साक्षियों को डरायेगे/धमकायेंगे नहीं।

इस आदेश की प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2636/2026 एवं 2734/2026 पर रखी जायें।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा
15.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.15 13:42:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court